# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 15/2018 GCMS No.—2018/00002

श्रीमति पतासी देवी पत्नि स्व. श्री म्होरीलाल मीणा, उम्र – वर्ष, जाति मीणा, 43 पानी की टंकी के पास, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत मुहाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मुहाना, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर।
2. हनुमान सहाय पुत्र स्व. म्होरीलाल मीणा, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम मोहनपुरा मदाऊमोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. शंकरलाल मीणा पुत्र स्व. म्होरीलाल मीणा, उम्र 60 वर्ष, जाति मीणा, निवासी 43 पानी की टंकी के पास, मुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्ध पट्टा संख्या 48 दिनांक 25.03.1972 ग्राम पंचायत मुहाना पंचायत समिति सांगानेर, अंतर्गत धारा 97 सपठित नियम 272 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

---

उपस्थितः–
1. श्री सत्यनारायण शर्मा निगरानीकार की ओर से।

---

निर्णय दिनांकः 23.08.2022

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत मुहाना, पंचायत समिति सांगानेर के आदेश दिनांक 25.03.1972 द्वारा विपक्षी संख्या 2 हनुमान सहाय पुत्र स्व0 म्होरीलाल मीणा, निवासी मोहनपुरा मदाऊमोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के पक्ष में 1733.66 वर्गगज भूखण्ड का पट्टा संख्या 48 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.01.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या दो की ओर से श्री शिवसिंह चौधरी अधिवक्ता उपस्थित आये। विपक्षी संख्या 3 स्वयं उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टे की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार संख्या 2 अनुपस्थित। वकील निगरानीकार की बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत मुहाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.1972 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 48 अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीधीन पट्टे में वर्णित भूमि निगरानीकार के पति की स्वअर्जित भूमि है। गैर निगरानीकार संख्या 2 निगरानीकर्ता का पुत्र है जिसके नाम पट्टा संख्या 48 बिना कोई जांच किये व बिना कोई नोटिस जारी किये जारी कर दिया गया। निगरानीधीन पट्टा निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 3 शंकरलाल के हक हिस्से

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

का है एवं शंकरलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति से बनाया हुआ है जिसमें तीन मंजिला पुख्ता मकान व बोरिंग तथा अन्य निर्मित निर्माण किया हुआ है जिसका उपयोग उपभोग निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 3 द्वारा किया जा रहा है। निगरानीकार के पति ने अपने वारिसान में सम्पत्ति का विभाजन करने से पूर्व अर्थात् अंतिम वसीयतनामा तहरीर व तकमील करने से पूर्व उक्त भूखण्ड का पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से गैर निगरानीकार संख्या 2 के नाम बनवा दिया था जो कानूनी दृष्टि में एबइनिशियो वॉयड है चूंकि दिनांक 25.03.1972 को गैर निगरानीकार संख्या 2 की उम्र मात्र 6 वर्ष थी तथा वसीयतनामा दिनांक 27.06.2007 के अनुसार निगरानीकार के पति म्होरीलाल ने उक्त भूखण्ड को निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 3 के पुत्रो के हक में दिया है तथा उसे बेचने का किसी को हक अधिकार नहीं दिया है तथा वसीयत अनुसार गैर निगरानीकार संख्या 2 व उसके गोदपुत्र को अन्य सम्पत्ति प्रदान की है। निगरानीकार को निगरानीधीन पट्टे की जानकारी तब हुई जब गैर निगरानीकार संख्या 2 ने नुमायशी व अवैध पट्टे के आधार पर सिविल न्यायालय से पाबन्दी का दावा पेश किया। जिसके पश्चात जानकारी होते ही निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टे की प्रमाणित प्राप्त कर माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत काननून 200 वर्गगज से अधिक का पट्टा बिना जिला कलक्टर महोदय की स्वीकृति के दिये जाने का अधिकार नहीं है। अल्पवयस्क व्यक्ति अर्थात नाबालिग व्यक्ति के नाम ना तो पट्टा आवंटन किया जा सकता है एवं न ही रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। निगरानीधीन भूमि शामिलाती हक हिस्से की भूमि है जिसमें निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 3 का ही हक अधिकार है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मुहाना द्वारा दिनांक 25.03.1972 को गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी पट्टा संख्या 48 निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत मुहाना द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में आदेश दिनांक 25.03.1972 से निगरानीधीन पट्टा संख्या 48 जारी किया है। ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली में गैर निगरानीकार संख्या 2 को जारी पट्टे की प्रमाणित प्रति ही प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा मियाद के बिन्दु पर प्रस्तुत जवाब अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी विलम्ब से पेश की गई, जो मियाद बाहर होने से खारिज की जावे, किन्तु मियाद के बिन्दु के आधार पर निगरानी खारिज करना न्यायहित में उचित नहीं है क्योंकि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 या राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 में निगरानी के सम्बन्ध में मियाद के बिन्दु पर कोई अवधारणा निर्धारित नहीं है। वकील निगरानीकर्ता का मुख्य कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा जब गैर निगरानीकार संख्या

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

दो को निगरानीधीन पट्टा जारी किया तत्समय गैर निगरानीकार संख्या 2 नाबालिग था एवं निगरानीधीन पट्टे की भूमि शामलाती भूमि है। इस संबंध में निगरानीकार द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका पेश की जिसमें अंकित जन्म तिथि दिनांक 09.09.1966 के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा जब निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया तत्समय गैर निगरानीकार संख्या 2 नाबालिग था। निगरानीकार के पति एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 के पिता स्व. म्होरी लाल के इच्छा पत्र दिनांक 27.06.2007 में निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा मकानात बनाकर भूमि का उपयोग किया जाना अंकित किया है। जिससे निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 3 का भी कब्जा होना प्रतीत होता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा नाबालिग व्यक्ति को पट्टा आवंटन किया गया है एवं गैर निगरानीकार को क्षेत्रफल 1733.66 वर्गगज का निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया जिससे जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया जाता है जो न्यायोचित नहीं है। इसलिए निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मुहाना, पंचायत समिति सांगानेर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 हनुमान सहाय पुत्र स्व. म्होरीलाल जाति मीणा, निवासी ग्राम मोहनपुरा, मदाऊमोड तहसील सांगानेर के हक में आदेश दिनांक 25.03.1972 द्वारा जारी पट्टा संख्या 48 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत, मुहाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित ( **Remand** ) किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष की नियमानुसार सुनवाई की जाकर, पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 में निर्धारित कानूनी प्रकिया का अक्षरशः पालन करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

( दिनेश कुमार शर्मा )
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर